फाइल नं0-71-1002(002)/3/2022

122/2023/I/379684/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 01 सितम्बर, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में 48 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत पी0जी0 हास्टल के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-यू014017/146/2019-एमई-।।/8035777, दिनांक 25.08.2022 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेजो में पी0जी0 सीटों की वृद्धि पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में 48 पी0जी0 सीटों की वृद्धि करते हुए रू0 57.60 करोड़ की लागत अनुमोदित की गयी। उक्त योजना का फ़ण्डिग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश+ राज्यांश) है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-48/2023/I/293864/2023-71-1002/19/2022, दिनांक 27.03.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत रू0 57.60 करोड़ के सापेक्ष राज्यांश के रूप में रू0 23.04 करोड़ की धनराशि महानिदेशक, चि0शि0 एंव प्रशि0 के निर्वतन पर कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखी गयी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में 48 पी0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु पी0जी0 हास्टल के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आकलित कुल लागत रू0 4763.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **रू0 1190.00 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ नब्बे लाख मात्र)** की धनराशि राज्यांश के रूप में उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 27.03.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु पी0जी सीटों की वृद्धि के सापेक्ष राज्यांश के रूप में रक्षित धनराशि कुल रू0 23.04 करोड़ में से पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हस्तान्तरित किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।
2. प्रायोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
3. प्रायोजनान्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एन0एम0सी0) के मानको का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे टाईम ओवर रन एंव कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
5. प्रायोजनान्तर्गत लिफ्ट, सब स्टेशन उपकरण, डीसेट0जी0, स्ट्रीट लाइट, फायर फाइटिंग, आदि की लागत लोक निर्माण विभाग की कुर्सी क्षेत्रफल दरों/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। निर्माण के समय इनका क्रय एंव स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए।
6. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
7. केन्द्र पुरोनिधानित योजना के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रायोजना में फर्नीचर की लागत को अनुमन्य किया गया है। प्रायोजना में प्रस्तावित फर्नीचर , डी0जी0 सेट, सोलर स्ट्रीट लाइट की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए परीक्षण किया गया है। अत: क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए।
8. प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु सिविल कास्ट को 3.5 प्रतिशत अर्थात् रू0 130.01 लाख के सापेक्ष मात्र बेसिक सिविल कास्ट का 3.5 प्रतिशत अर्थात् रू0 118.31 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से विस्तृत लागत विवरण निर्माण से पूर्व प्राप्त कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए मात्र लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
10. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।
11. प्रायोजनान्तर्गत प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एंव अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
12. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
13. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
16. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
17. महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
19. अवमुक्त की जा रही धनराशि को बैक एंव डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
20. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
21. संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. अन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।